

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्ती, जयपुर

अप्रार्थीगण

वृजमोहन व अन्य

बनाम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिकाता श्री गिरिराज प्रसाद कजापत द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। प्रार्थी को सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में पुष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजों के खसरा नम्बर 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/5, 650/2, 652/1, 652/2, 652/4, 745/1, 745/2, 745/3, 764/1, 764/2, 764/3, 764/4, 764/5 कुल किता 22 कुल रकबा 10.4322 है। वाके ग्राम जटवाड़ा पटवार हल्का जटवाड़ा तहसील बस्ती जिला जयपुर में मीके एवं रिकॉर्ड की प्थास्थिति बनाये रखने हेतु उपभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से वाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस जारी हो। पत्रावली आगामी तारीख पत्नी दिनांक 12/08/2021 को पेश हो।</p>	<p>206 25/8/21 जोड़ि जाय</p>

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बस्ती, जयपुर

पत्रावली पेश हुई। कर्तव्य वादी
पक्षकारता परीक्षा। पत्रावली पूर्ण
आदेश नगर दिनांक
का पेश हो।

14/10/21

21/10/21 पत्रावली पेश हुई। कर्तव्य वादी के लिये अधिकाता
वेम जटवाड़ा में पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण
स्वयं उपस्थित कितामी परीक्षा पर लपेच
जात्र के लिये जटवाड़ा में आये। प्रार्थी
व अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना जाय।
पत्रावली वा अवलोकित एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण
को सुनते वे पक्षगत वाद जात्र प्रक्रि 20.1.1.
475 से 475, 627 से 627, 650, 652, 652
652, 745 से 745, 764 से 764 कुल किता
22 कुल रकबा 10.4322 है।

वृजमोहन

वृजमोहन

सा. र. म. म.
वृजमोहन

21/10/2021
सरपंच
ग्राम पंचायत जटवाड़ा
पं. सं. बस्ती (जयपुर)

जटवाड़ा तहसील बस्ती जिला जयपुर वा वाद
प्रारम्भिक डिक्टी स्विज का-युक्त है। प्रार्थी प्रार्थना

मैं आपका जवाब 6/10 दिनांक 25-6-2014 को जारी
 खसत आदेश को वाउ के निर्देश तब तक बनाए रखूँगा
 किंतु बाजार उन्नय पधों को जारी रखूँगा
 विशेषज्ञता से पारदर्शिता किताबें हैं कि
 उक्त वाउ प्राप्त नहीं होने का वाउ वापस ले
 देना से जो नहीं करिज है वहाँ करिज
 रहेगा कि उन्नय पधों में की प्रथा स्थिति
 कतापे रखेंगे तथा उन्नय पधों एक दुसरे
 को वास्तव करते से नहीं रखेंगे तथा
 एक दुसरे की शक्ति में किसी प्रकार की
 दखलदारी नहीं करेंगे। पत्रावली के मूल
 धारा 40 के तहत वाउ तब तक मूल वाउ के
 साथ हमफाई हो।

आज दिनांक 21-10-14 को यह
 निर्देश प्रशासन गणेश के हेतु अंतिम
 वेब पर 6/2014 के मधेन उन्नय में जारी
 गया।


 उप निता कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 कच्छी जिला-जयपुर